उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:70/2021/ 1485371/12-2099/175/2021

लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर तथा कृषि रक्षा अधिकारी, मिर्जापुर कार्यालय भवन के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू. 100.00 लाख के सापेक्ष रू. 11.82 लाख (रूपये ग्यारह लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि से निर्माण सामग्री आदि के क्रय हेतु क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय । धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है ।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो ।
9. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे ।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 70/2021/ 1485371(1)/12-2099/175/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: 807/कृ0र0/लेखा/की0रो0नि0यो0/2021-22 दिनॉक 15 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल/यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु,

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in